"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 17, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-13/2017/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-13) में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (2005)	संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री संचालक, विमानन एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अति. प्रभार संयुक्त सचिव, विमानन विभाग (स्वतंत्र प्रभार).	विशेष सचिव, मुख्यमंत्री संचालक, विमानन एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अति. प्रभार विशेष सचिव, विमानन विभाग (स्वतंत्र प्रभार).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005)	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), श्रम विभाग श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अति. प्रभार.	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विशेष सचिव, श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अति. प्रभार.
3.	श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005)	DFFT के तहत प्रशिक्षण पर नियोजित	DFFT के तहत प्रशिक्षण पर नियोजित
4.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005)	संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ. ग. संवाद का अति. प्रभार संयुक्त सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) का अति. प्रभार.	संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. संवाद का अति. प्रभार विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) का अति. प्रभार.
5.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2005)	कलेक्टर, रायपुर	कलेक्टर, रायपुर
6.	श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005)	संचालक, लोक शिक्षण	संचालक, लोक शिक्षण
7.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2005)	कलेक्टर, दुर्ग	कलेक्टर, दुर्ग
8.	श्री धनंजय देवांगन भा.प्र.से. (2005)	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर
9.	डॉ. एस. के. अलंग, भा.प्र.से. (2005)	संचालक, समाज कल्याण तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अति. प्रभार तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अति. प्रभार.	संचालक, समाज कल्याण तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अति. प्रभार तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अति. प्रभार.
10.	श्री छत्तरसिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2005)	सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर	सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर

श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. को उनके कनिष्ठ के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत वेतनमान देय होगा.

2. सरल क्रमांक 4 तथा 10 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सहायक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-12/2017/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 10000/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-14) में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002)	विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार) तथा विशेष सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2.	डॉ. कमल प्रीत सिंह भा.प्र.से. (2002)	विशेष सचिव, वाणिज्यक एवं उद्योग विभाग (स्वतंत्र प्रभार) तथा विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त का अति. प्रभार.	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (2002)	आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अति. प्रभार.	आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा, आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार.
4.	श्री हेमन्त कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002)	विशेष सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	सचिव, संसदीय कार्य तथा जनशिकायत निवारण विभाग.
5.	श्री दिलीप कुमार वासनीकर, भा.प्र.से. (2002)	आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर	आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर
6.	श्री अमृत कुमार खलखो भा.प्र.से. (2002)	अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग	सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर
7.	श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. जल ग्रहण विकास क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अति. प्रभार.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. जल ग्रहण विकास क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अति. प्रभार.

2. इस विभाग के पत्र क्र. ई-1-15/2016/2, दिनांक 07-09-2016 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को अधिसमय वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-3 (2) (iii) के तहत 30 दिवस के भीतर सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है.

3. वर्ष 2002 के पदोन्नत सभी अधिकारी आगामी Mid-Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2005), सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री छत्तर सिंह डेहरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग के असवंर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री अनूप कुमार गर्ग को दिनांक 30 जून, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री अनूप कुमार गर्ग को दिनांक 30 जून, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2015 द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री एस. बी. अग्रवाल को दिनांक 07 सितम्बर, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री अनूप कुमार गर्ग को दिनांक 30 जून, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2015 द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री एस. बी. अग्रवाल को दिनांक 07 सितम्बर, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2015 द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत श्री एस. बी. अग्रवाल को दिनांक 07 सितम्बर, 2017 से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 10-5/2013/16.—"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम, 272 (1) (ख) में निम्नानुसार अंत:स्थापित करता है :—

(चार) "गत् वर्ष 90 दिवस कार्य किए जाने के संबंध में श्रमिकों का निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषित प्रमाण-पत्र जिसमें 90 दिवस कार्य किए जाने का विवरण शामिल हो" :—

नया रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-13/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2013/16, दिनांक 30-12-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा कॉलम (2) में 60 वें प्रवर्ग के रूप में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	कर्मकारों के प्रवर्ग
60	रेत, मुरूम, गिट्टी, सीमेंट तथा ईंट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मकार

नया रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 11-2/2011/16.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 दिनांक 30-06-2017 में आंशिक संशोधन करते हुये सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित सेवाओं के अंत में अर्थात् सेवा क्रमांक-7 के बाद सेवा क्रमांक-8 को निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है.

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय.	8. कारखाना लाईसेन्स नवीनीकरण कार्य	30 कार्य दिवस	उप संचालक/ सहायक संचालक	श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक	सचिव

उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-1/2016/16.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्रमांक 39 सन् 1972) की धारा 7 (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम 02 में वर्णित अधिकारियों को कॉलम 03 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारिता क्षेत्र (2)	प्राधिकृत अधिकारी (3)
1.	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़	श्रमायुक्त कार्यालय नया रायपुर में पदस्थ उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त.

2. उपरोक्त तालिका के कॉलम 03 में उल्लेखित प्राधिकारियों को राजस्व जिलावार कार्यक्षेत्र का आबंटन श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नया रायपुर द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा अनुरूप समय-समय पर पृथक से जारी किया जावेगा.

3. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-13/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसचूना क्रमांक एफ 10-13/2013/16, दिनांक 30-12-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा कॉलम (2) में 59वें प्रवर्ग के रूप में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	कर्मकारों के प्रवर्ग
59.	मलबा/कचरा हटाने वाले

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

LAW AND LEGISHLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Naya Raipur

Naya Raipur, the 28th October 2017

No. 9987/3005/XXI-B/C.G./2017.—State Government hereby, accepts the registration of Shri Umesh Kumar Chauhan, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Dakshin Bastar Dantewara (C.G.) with effect from 08th November, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्रमांक 1477/1259/आठ.-परि./2017.—छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 772/परि.वि./टी.सी./17 के द्वारा दिनांक 05 मई, 2017 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित "छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2017" को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 1477/1259/8-Trans./2017.—The Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017 Notification in Chhattisgarh Gazette on 05 May, 2017 vide Govt. of Chhattisgarh, Transport Department order No. 772/Tran./TC/2017 is hereby Cancelled.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10147/10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भैसमुंडी प.ह.नं. 04	1.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम भैंसमुंडी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10148/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	मगरलोड प.ह.नं. 11	1.274	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम मगरलोड.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10149/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	करैहा प.ह.नं. 11	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10150/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	सोनपैरी प.ह.नं. 32	1.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-सोनपैरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10151/02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	साल्हेभाठ प.ह.नं. 01	0.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन बोरसी माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-साल्हेभाठ.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10152/07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	मड़ेली प.ह.नं. 11	0.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय से माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-मड़ेली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10153/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बकोरी प.ह.नं. 11	1.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-बकोरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10154/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बनियातोरा प.ह.नं. 32	1.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नंबर 90.	बकोरी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-बनियातोरा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्रमांक 12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना प.ह.नं. 43	2.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्रमांक 13/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	समलपुरी प.ह.नं. 40	2.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-हिर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.081
21	0.304
62/40	0.235
5	0.061
3/2	0.162
22/1, 22/2	0.243
141/1ग	0.324
49	0.040
62/28	0.162
50/4	0.061
50/5	0.081
50/3	0.020
58/5	0.263
58/14	0.061
63/2	0.020
80/2	0.020
101/4	0.121
101/6	0.121
101/7	0.024

(1)	(2)
101/2	0.028
101/1	0.020
58/6	0.012
58/13	0.308
58/8	0.202
64/3	0.020
64/1	0.134
64/2	0.101
65	0.028
78/1	0.008
78/2	0.129
79/1	0.073
79/3	0.073
86/2	0.121
79/2	0.162
101/13	0.121
91/1, 91/2	0.105
92/2	0.016
93	0.138
94/2	0.316
100/3 क, 100/4 क	0.061
99/3	0.049
99/4	0.061
98	0.040
94/3	0.040
95	0.020
61	0.061
62/26	0.251
62/25	0.024
101/5	0.032
87/1	0.105
योग 53	5.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

डी.के.एस. भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 37-05/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./कार्यक्रम/2017/3689.—भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा परिशिष्ट-1 में उप चुनाव हेतु उल्लेखित जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र.		कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	29-11-2017	बुधवार	प्रातः 10.30 बजे
	(ii)	नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तारीख	28	29-11-2017	बुधवार	प्रातः 10.30 बजे से 3.00 अपरान्ह तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	29-11-2017	बुधवार	प्रात: 10.30 बजे
	(iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	29-11-2017	बुधवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	06-12-2017	बुधवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि	28 (ख)	07-12-2017	गुरुवार	प्रात: 10.00 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	09-12-2017	शनिवार	अपरान्त 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	09-12-2017	शनिवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	40	09-12-2017	शनिवार	प्रतीक आबंटन के तुरन्त बाद
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	20-12-2017	बुधवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8.	मतगणना				
	(1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	20-12-2017	बुधवार	मतदान के तुरन्त बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		21-12-2017	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे से
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.	28 (च)	22-12-2017	शुक्रवार	प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में) (प्रात: 9.00 बजे से जिला मुख्यालय में)
	(2) जिला पंचायत सदस्य के मामले में	-	-	-	

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

(जिनेविवा किंडो)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

परिशिष्ट—1

त्रिस्तरीय पंचायतों के 30 जून 2017 की स्थिति में जिले से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	—	—	1	7	8
2.	मुंगेली	—	—	9	8	17
3.	जांजगीर-चांपा	—	—	11	28	39
4.	कोरबा	—	—	3	16	19
5.	सूरजपुर	—	—	4	27	31
6.	बलरामपुर	—	1	6	12	19
7.	सरगुजा	—	—	2	22	24
8.	कोरिया	—	—	—	11	11
9.	रायगढ़	—	4	7	34	45
10.	जशपुर	—	—	1	7	8
11.	रायपुर	—	—	3	19	22
12.	बलौदाबाजार	—	—	5	15	20
13.	गरियाबंद	—	—	3	15	18
14.	महासमुन्द	—	—	2	19	21
15.	धमतरी	—	—	6	8	14
16.	बेमेतरा	—	—	5	19	24
17.	दुर्ग	—	—	2	12	14
18.	बालोद	—	—	10	9	19
19.	राजनांदगांव	—	1	10	28	39
20.	कबीरधाम	—	—	9	27	36
21.	कोण्डागांव	—	2	5	132	139
22.	बस्तर	—	—	—	7	7
23.	नारायणपुर	—	—	1	2	3
24.	कांकेर	—	—	9	74	83
25.	दन्तेवाड़ा	—	—	5	17	22
26.	सुकमा	—	—	—	2	2
27.	बीजापुर	—	1	1	1	3
	कुल योग	**0**	**9**	**120**	**578**	**707**

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31अक्टूबर 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 3750/31/स्था./2017.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the officer of Principal Secretary, Water Resources & Religious Trust and Endowments Department in pursuance of order No. ई-1-09/2017/2, dated 31-10-2017 and that the officer receiving charge traveled during joining time on 31-10-2017 (afternoon).

G. S. MISHRA,
Principal Secretary.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/5970.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/भार.अधि./2016-17/7729-7730, दिनांक 15-03-2017 द्वारा श्री सुनील अग्रवाल, तहसीलदार जैजेपुर जिला जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर जिला-जांजगीर-चांपा को का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 16982/स्था./2017 दिनांक 28-10-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर में श्री मनोज कुमार खाण्डे, तहसीलदार, जैजेपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सुनील अग्रवाल, तहसीलदार जैजेपुर जिला जांजगीर-चांपा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मनोज कुमार खाण्डे, तहसीलदार, जैजेपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/5972.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/भार.अधि./2016-17/4091-4092 दिनांक 26-09-2016 द्वारा श्री अजय किशोर लकड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती जिला जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मंडी समिति सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 16984/स्था./2017 दिनांक 28-10-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सक्ती में श्रीमति बी. एक्का तहसीलदार, सक्ती को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अजय किशोर लकड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमति बी. एक्का तहसीलदार, सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/5974.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/भार.अधि./2016-17/3296-3297 दिनांक 12-08-2016 द्वारा डॉ. आर.एल. अम्बादे अनुविभागीय अधिकारी कृषि तहसील पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा को, का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 16980/स्था./2017 दिनांक 28-10-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा में श्री लखेश्वर किरण, प्रभारी तहसीलदार, अकलतरा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, डॉ. आर. एल. अम्बादे अनुविभागीय अधिकारी कृषि तहसील पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री लखेश्वर किरण, प्रभारी तहसीलदार, अकलतरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 80/L.G./2017/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 25-09-2017 to 28-09-2017 along with permission to remain out of headquarters from 24-09-2017 to 02-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 81/L.G./2017/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 07-10-2017 to 12-10-2017 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 06-10-2017 till before the Court hours of 13-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 82/L.G./2017/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 11 days from 07-10-2017 to 17-10-2017 along with permission to remain out of headquarters from 07-10-2017 to 22-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 83/L.G./2017/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 16-10-2017 & 17-10-2017 along with permission to remain out of headquarters from 14-10-2017 to 21-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 84/L.G./2017/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, District & Sessions Judge, Mahasamund, is hereby, granted commuted leave for 12 days from 18-09-2017 to 29-09-2017 along with permission to leave headquarters from 16-09-2017 to 02-10-2017.

During the period of commouted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sawant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 7th November 2017

No. 85/L.G./2017/II-2-7/2013.—Shri Satish Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 25-09-2017 to 28-09-2017 along with permission to leave headquarters from 24-09-2017 to 02-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).